भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 79

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण 1945 (शक) को दिया जाना है

आईआरएस/आयकर (समूह-ए) अधिकारियों द्वारा वीआरएस

79. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 2014 से 2024 के दौरान बड़ी संख्या में आईआरएस/आयकर अधिकारियों (समूह-ए) ने वीआरएस के तहत सेवानिवृत्ति ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उसी अवधि (2014-2024) के दौरान वीआरएस के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले आईएएस, आईपीएस और आईआरएस (अप्रत्यक्ष कर) अधिकारियों (समूह-ए) का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयकर विभाग में फेसलेस असेस्मेंट स्कीम को पायलट/प्रयोग के आधार पर और नियमित आधार पर कब शुरू किया गया था?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) वर्ष 2014-2024 के दौरान वीआरएस के तहत सेवानिवृत्ति लेने वाले आईआरएस (आयकर) अधिकारियों (समूह-ए) का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है: -

वर्ष	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
अधिकारियों की संख्या	20	19	14	15	35	31	23	53	58	58	57

(ख) वर्ष 2014-2024 के दौरान वीआरएस के तहत सेवानिवृत्ति लेने वाले आईआरएस (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) अधिकारियों (समूह-ए) का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
अधिकारियों की संख्या	24	30	40	30	45	61	32	30	49	56	73

आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 16(2) और 16(2ए) द्वारा शासित होती है। राज्य सरकारें 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं, जबकि केंद्र सरकार 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सक्षम प्राधिकारी है (असम-मेघालय, मणिपुर-त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम संवर्ग में सेवा के मामले में 15 वर्ष)। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का समेकित डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) प्रारंभ में, ई-मूल्यांकन योजना, 2019 को सरकार द्वारा अधिसूचना-एसओ 3264 (ई) दिनांक 12.09.2019 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, ताकि आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत जांच हेतु चुने गए मामलों का करदाताओं को मूल्यांकन अधिकारी की पहचान बताए बिना मूल्यांकन केंद्रीकृत तरीके से किया जा सके। इसके अलावा, ई-मूल्यांकन योजना, 2019 को अधिसूचना एसओ 2745 (ई) और 2746 (ई) द्वारा दिनांक 13.08.2020 को फेसलेस असेसमेंट स्कीम (एफएएस), 2019 में संशोधित किया गया, जिसमें निर्दिष्ट किया गया कि केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रभारों को सौंपे गए मामलों को छोड़कर, सभी मूल्यांकन आदेश एफएएस, 2019 के माध्यम से फेसलेस तरीके से पारित किए जाएंगे। इसके पश्चात, फेसलेस मूल्यांकन को क़ानून का हिस्सा बना दिया गया और आयकर अधिनियम की धारा 144बी को कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा दिनांक 01.04.2021 से लागू किया गया।

*****